



**उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड**  
(उप्र0 सरकार का उपक्रम)  
**U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED**  
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)  
शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या: 1854-पारे0अनु0-16/पाद्राकालि-37/13

दिनांक: 24 मई, 2018

**कार्यालय ज्ञाप**

उप्र0 शासन के पत्र 1566/24-पी-2-16-सा0(46)/16 टीसी, दिनांक 23.03.2016 द्वारा सामान्य पारेषण संवर्ग में नये क्षेत्रों/मण्डलों एवं खण्डों के सृजन हेतु स्वीकृत किए गये नये पदों के विरुद्ध, उप्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराए गये अधिशाषी अभियन्ताओं के दृष्टिगत निम्नांकित नये खण्डों के सृजन की एतद्वारा स्वीकृत प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	नवसृजित पारेषण खण्ड का नाम	नियंत्रक अधिकारी	उपखण्ड	उप केन्द्रों का नाम	पारेषण लाइनों का नाम	स्वीकृत हुये नये पदों का आवंटन				
						अधिशाषी अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अवर अभियन्ता	लेखाकार	
1.	विद्युत पारेषण खण्ड-तृतीय, आगरा।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, आगरा।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	1. 220 के0वी, बाह। 2. 132 के0वी0 ग्वालियर रोड। 3. 132 के0वी0 एतमादपुर। 4. 132 के0वी0, बाह। 5. 132 के0वी0, पिनहट।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	1	2	7	1	
2.	विद्युत पारेषण खण्ड, रायबरेली।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, सुल्तानपुर।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	1. 220 के0वी0, बछरावा। (निर्माणाधीन) 2. 132 के0वी0, त्रिपुला। 3. 132 के0वी0, अमावा। 4. 132 के0वी0, डलमऊ। 5. 132 के0वी0, सलोन। 6. 132 के0वी0, बछरावा। 7. 132 के0वी0, सरेनी।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	1	2	9	1	
3.	विद्युत पारेषण खण्ड-द्वितीय, जौनपुर।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, जौनपुर।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	1. 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड, शाहगंज (निर्माणाधीन)। 2. 132 के0वी0, उपकेन्द्र शाहगंज। 3. 132 के0वी0 उपकेन्द्र, सिद्दीकपुर। 4. 132 के0वी0 उपकेन्द्र केराकत। 5. 132 के0वी0 उपकेन्द्र, बदलापुर।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	1	2	4	1	
4.	विद्युत पारेषण खण्ड- द्वितीय, बस्ती।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, गोरखपुर।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	1. 220 के0वी0 उपकेन्द्र, बांसी (निर्माणाधीन)। 2. 132 के0वी0, उपकेन्द्र, बांसी। 3. 132 के0वी0, उपकेन्द्र, नौगढ़। 4. 132 के0वी0 उपकेन्द्र, डुमरियागंज। 5. 132 के0वी0 उपकेन्द्र, इटवा।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	1	2	6	1	

क्रमशः ....2

5.	विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, गोण्डा।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, लखनऊ।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	विद्युत पारेषण मण्डल, गोण्डा से सम्बन्धित क्षेत्र।	-	1	2	4	1
6.	विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, मिर्जापुर।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन, इलाहाबाद।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	विद्युत पारेषण मण्डल, मिर्जापुर से सम्बन्धित क्षेत्र।	-	1	2	4	1
7.	विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, ग्रेटर नोएडा।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन, मेरठ।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	विद्युत पारेषण मण्डल, ग्रेटर नोएडा से सम्बन्धित क्षेत्र।	-	1	2	4	1
8.	विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, मथुरा।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन, आगरा।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	विद्युत पारेषण मण्डल, मथुरा से सम्बन्धित क्षेत्र।	-	1	2	4	1
9.	विद्युत संरचना इकाई, कन्नौज।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल द्वितीय, कानपुर।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	विद्युत संरचना इकाई, कन्नौज।	-	1	2	4	1
10.	विद्युत परीक्षण एवं परिचालन खण्ड, बांदा।	अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत परीक्षण एवं परिचालन, झांसी।	सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारण किया जायेगा।	विद्युत पारेषण मण्डल, बांदा से सम्बन्धित क्षेत्र।	-	1	2	4	1

- उपरोक्तानुसार, नवसृजित खण्डों के कार्य क्षेत्रों का निर्धारण सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, पारेषण क्षेत्रों द्वारा किया जायेगा।
- उक्त आदेशों के व्यावहारिक/भौतिक क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में अन्य समस्त औपचारिकताओं को यथाविधि पूरा किये जाने तथा तत्सम्बन्धित नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने का सम्पूर्ण दायित्व सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता पारेषण क्षेत्रों को होगा।
- उक्त आदेश के अनुलग्नक में निर्दिष्ट पदों के अतिरिक्त नवसृजित इकाईयों हेतु अन्य आवश्यक पदों को सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता द्वारा पारेषण स्कन्ध की अन्य इकाईयों में से परिविस्तारण द्वारा आवंटित उपलब्ध कराया जायेगा।
- पदों को भरने की कार्यवाही वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उपकेन्द्रों एवं लाइनों हेतु निर्धारित मानकों के आधार पर की जायेगी।
- इन आदेशों के परिणामस्वरूप होने वाला सम्भावित व्यय-भार उ०प्र०पा०ट्रा०का० लि० के सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में आगणित होगा।

**निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०)**

**संख्या: 1854(i)-पारे०अनु०-18/पाट्राकालि-2017/तददिनांक**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

- अध्यक्ष, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- समस्त निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
- समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, लखनऊ/इलाहाबाद/आगरा/मेरठ।
- मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- वेबसाइट।

**साक्षी से,**  
(ए०के० श्रीवास्तव)  
उप सचिव (पारेषण)